फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या प्रथम अपील 1/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/7/25	प्रार्थी श्री वकील उपस्थित। उभय पक्ष प्रार्थी श्री वकील उपस्थित की बहस। सुनवाई के आधार पर न्यायालय यह पाता कि प्रार्थी के स्वयं के कथनों से ही अवमानना ~~के अपराध होने के आधार पर की~~ ~~गई विवादग्रस्त~~ चारित होना साबित नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ, अपीलार्थी ने सशपथ कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलों की खातेदारी की भूमि है जो मौके पर स्थित पड़ी है। इस प्रकार, प्रार्थी, अपीलार्थी द्वारा चारित Deliberate contempt को दर्शाते हुए एक मौलिक तथ्यों से सिद्ध नहीं कर पाया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवमानना पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय आगे से लिखकर शीघ्र किया जाता। न्यायालय द्वारा नकल से काम होकर फैसला सुनाया होकर सुनाया गया है। निर्णय आज दिनांक 22/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम